11/7/15 वकील पक्षकारान उपस्थित। बहस वकील पक्षकारान को श्रवण
किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि वादग्रस्त आराजी
हरदी के मध्य की है। जिसके [illegible] के [illegible] में
इन्द्राज खातेदारी गलत हुए है। सायल ने [illegible] का
बनकर अपने नाम खातेदारी इन्द्राज करवा लिये है।
इसलिए [illegible] के निर्णय तक आराजी की यथास्थिति कायम
रखी जावे। उक्त इन्द्राज मामला मालकान के [illegible] में
प्रतीत होता है इसलिए उभयपक्षों को [illegible] वादग्रस्त
भूमि की यथास्थिति कायम रखने को पाबंद किया
जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार
स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षों को [illegible]
वादग्रस्त आराजी 998, 999, 1001, 1005, 1006, 1008
मुताबिक 6 कुल रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा वाके [illegible]
[illegible] की यथास्थिति [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] नंबर 2 [illegible] [illegible] के [illegible]
[illegible] रहे। [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.08.16 14:30:22 IST
Reason: SelfAttested

[signature]
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)